

महाराष्ट्र शासन  
- 814 को

रामलाल तनय पंजन अहिरवार,  
निवासी - धरमपुरा , तहसील पलेरा ,  
जिला टोकमगढ़ , म०प००॥

--- निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- लखनलाल तनय मातीदीन अहिरवार  
निवासी ग्राम धरमपुरा , तहसील पलेरा ,  
जिला टोकमगढ़ , म०प००॥
- 2- म०प०० शासन ----- रेसपोन्डेन्ट


सुप्रीम कोर्ट  
उत्तर म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 2674-तीन/2014

जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
12-11-2014	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री एम0पी0भटनागर उपस्थित। अनावेदक क्रमांक 2 शासन की ओर से श्री बी0एन0त्यागी पेनल अधिवक्ता उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधीनस्थ तहसीलदार राजस्व निरीक्षक न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 27/अ-12/2013-14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30-6-14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया, जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3- राजस्व निरीक्षक के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रचलित सीमांकन की कार्यवाही में आवेदक को अवसर देने के उपरांत भी आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई जिसके उपरांत सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण की गई है। अतः प्रथमदृष्टया सीमांकन की कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से यह निगरानी इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">                       प्रशासकीय सदस्य                 </p>	

10